न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 98/2018

निर्णय दिनांक :– 14.06.19

भरतसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भीवड़ावास (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–वादी–

–बहक

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भीवड़ावास (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. राजपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भीवडावास (गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. संतोष पुत्री जगन्नाथ पत्नि हंसराज जाति मीणा निवासी भीवडावास (गांवडी) हाल निवासी कासीर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. निर्मला पुत्री जगन्नाथ पत्नि रंगलाल मीणा निवासी भीवडावास (गांवडी) हाल निवासी टोपा सुजन ग्राम पंचायत भांसू तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।
5. राज्य सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान।
6. उपपंजीयक/तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री संदीप कांटिया
अधिवक्ता वादी

राजकुमार कोठारी अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व
शेष प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 01.02.19 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में आपसी राजीनामे व सहमति से पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के प्रकाश में तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2071–74 वाके ग्राम भीवड़ावास पटवार हल्का गांवडी़ भू.अभि.नि. क्षैत्र राजमहलके खाता संख्या 70 में दर्ज कुल किता 2 रकबा 3.67 है0, में स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खातेदारी कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज की जावें। पाबंद रहे। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय/आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 14.06.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली